संख्या- 56/2026/758/छप्पन-2026-12/2013टी0सी0-1

प्रेषक,

निखिल टीकाराम फुंडे,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2026

विषय: जनपद गोरखपुर में ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत नए एयरपोर्ट के टर्मिनल के निर्माण हेतु वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर के अन्तर्गत एयरफोर्स स्टेशन, गोरखपुर में नए एम0ई0एस0 ऑफिस काम्पलेक्स एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्यत्र शिफ्टिंग किए जाने के फलस्वरूप एम0ई0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 59/आर0सी0एस0-2026-जी-1/2019 दिनांक 16 जून, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-859/1237 (भवन)/2026 दिनांक 27.04.2026 के क्रम में जनपद गोरखपुर में ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत नए एयरपोर्ट के टर्मिनल के निर्माण हेतु वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर के अन्तर्गत एयरफोर्स स्टेशन, गोरखपुर में नए एम0ई0एस0 ऑफिस काम्पलेक्स एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्यत्र शिफ्टिंग किए जाने के फलस्वरूप एम0ई0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारतीय वायुसेना द्वारा इंगित निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यों को कराए जाने हेतु रू0 70.59 लाख (रूपए सत्तर लाख उनसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय कराने का अनुरोध किया गया है:-

1.1 Provision of caging for all overhead tanks due to monkey menace in the area.

1.2 Provision of XPM (Jali) in all balcony (ground and first floor) of all married accommodation due to severe monkey menace in the area.

1.3 Provision of qut-05 garbage bins with iron cover and gate to avoid littering garbage by monkey which may cause aerospace safety hazard.

2- जनपद गोरखपुर ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत नए एयरपोर्ट के टर्मिनल के निर्माण हेतु वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर के अन्तर्गत एयरफोर्स स्टेशन, गोरखपुर में नए एम0ई0एस0 ऑफिस काम्पलेक्स एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्यत्र शिफ्टिंग किए जाने के फलस्वरूप एम0ई0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारतीय वायुसेना द्वारा इंगित अतिरिक्त कार्यों को कराए जाने हेतु रू0 70.59 लाख (रूपए सत्तर लाख उनसठ हजार मात्र) का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराए जाने हेतु सन्दर्भित की गई। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रू0 70.59 लाख के सापेक्ष रू0 63.10 लाख की लागत आंकलित की गई है।

3- अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या 55/2026/628/छप्पन-2026-12/2013टी0सी0-1 दिनांक 15 जुलाई, 2026 द्वारा जनपद गोरखपुर ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत नए एयरपोर्ट के टर्मिनल के निर्माण हेतु वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर के अन्तर्गत एयरफोर्स स्टेशन, गोरखपुर में नए एम0ई0एस0 ऑफिस काम्पलेक्स एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्यत्र शिफ्टिंग किए जाने के फलस्वरूप एम0ई0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारतीय वायुसेना द्वारा इंगित अतिरिक्त कार्यों को कराए जाने हेतु निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर को कार्यदायी संस्था चयनित किया गया है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत नए एयरपोर्ट के टर्मिनल के निर्माण हेतु वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर के अन्तर्गत एयरफोर्स स्टेशन, गोरखपुर में नए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एम0ई0एस0 ऑफिस काम्पलेक्स एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्यत्र शिफ्टिंग किए जाने के फलस्वरूप एम0ई0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारतीय वायुसेना द्वारा इंगित अतिरिक्त कार्यों को कराए जाने हेतु रू0 70.59 लाख (रूपए सत्तर लाख उनसठ हजार मात्र) के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 63.10 लाख (रू0 तिरसठ लाख दस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ सम्पूर्ण धनराशि रू0 63.10 लाख (रू0 तिरसठ लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिलाधिकारी, गोरखपुर के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी डाक घर/बैंक/डिपोजित खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना की लागत में टाइम ओवर /कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रायोजना में पी0एफ0ए0डी0 द्वारा अनुमोदित सीमा तक ही जी0एस0टी0 अनुमन्य होगी। निदेशक, नागरिक उड्डयन अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(10) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा । निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 से सम्मिलित न हो तथा इसका भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जाय ।

(11) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(12) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का कय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अधीन जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।

(13) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(14) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(15) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(16) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण/ उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(17) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

(18) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(19) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

(20) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कन्टीजेन्सी मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(21) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। निदेशक, नागरिक उड्डयन/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही निदेशक, नागरिक उड्डयन/कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(22) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(23) प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि शासन के सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(24) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 63.10 लाख (रू0 तिरसठ लाख दस हजार मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, गोरखपुर के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

6- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत् निर्माण कार्य'' से वहन की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: E-7-21-X-2026-27 दिनांक 20 जुलाई, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
निखिल टीकाराम फुंडे
विशेष सचिव

संख्या- 56/2026/758(1)/छप्पन-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- जिलाधिकारी, गोरखपुर।

5- एयर ऑफिसर कमाण्डिंग, वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गोरखपुर।

7- मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।

8- मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को उनके उक्त पत्र दिनांक 27.04.2026 के सन्दर्भ में।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

10- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।